

13/9/19

पत्रावली पत्रा हुई । वकील याचीया हाजीर नही । बार-बार
आवाज लगाई गई । बार-बार आवाज लगाने पर भी
ना तो वकील याचीया हाजीर और ना ही याचीया खंभ
हाजीर । अतः याचीया पत्र अलाई निवेद्याला को आवा
हाजीर आवा पत्रा में खारीज किया जाता है । पत्रावली
केलल शुभाकर टोकर नखर ले कया हो व वकील खतर
हो ।

उपखण्ड अधिक
उदयपुरवादी (बुधुनी)

